कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय आदेश-:

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/नियु. पीएससी/2018/भूगोल/2021/127-134 दिनांक 07.04.21 के द्वारा श्रीपाल व्याख्याता भूगोल का पदस्थापन राउमावि. ग्वालनाड़ा (220710) कल्याणपुर, बाड़मेर किया गया परन्तु अभ्यर्थी श्रीपाल पर भारतीय दण्डसंहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज आपराधिक प्रकरण नैतिक अधमता "Moral turpitude" की श्रेणी में होने से एवं विभाग स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर श्रीपाल को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं समझकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/शिकायत-जांच/पीएससी-18/2020-21 दिनांक 27.05.21 द्वारा इनकी नियुक्ति निरस्त की गई।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीपाल व्याख्याता- भूगोल ने उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7664/2021 श्रीपाल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

उक्त याचिका में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.07.2021 में विभागीय आदेश दिनांक 27.05.21 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान कर याचिकार्थी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के रूप में कर्तव्य निर्वहन करने के संबंध में आज्ञा दिये जाने के प्रत्यर्थी विभाग को आदेश प्रदान किये है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अन्तरिम निर्णय दिनांक 01.07.21 की पालना में याचिकार्थी को कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त अनुमति न्यायालय के एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7664/ 2021 अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा./संस्था/सी-5/शिकायत जांच/PSC-18/2020-21/10 दिनांक:- 20/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि /संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर